न्यायालय भरण पोषण कल्याण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
प्रकरण संख्याः–71/2009

1. विद्यादेवी पत्नी स्व. कान्हाराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 22 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) –प्रार्थीया

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र स्व. कान्हाराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 22 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) –अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम की धारा 5 (1) (क) और (ख) के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन

निर्णय दिनांकः– 15.07.2019

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि से है कि प्रार्थीया 76 वर्षीय वृद्व महिला है तथा बीमार है। प्रार्थीया ने अपने निवास हेतु एक मकान संगरिया में खरीद किया था, जिसमें प्रार्थीया अपने पति के साथ निवास करती थी। प्रार्थीया का पुत्र राजेन्द्र लगभग 20 वर्ष से परिवार सहित अलग रहता है। प्रार्थीया अपने पति की पेंशन से अपना गुजर बसर करती है। प्रार्थीया का पुत्र राजेन्द्र व पुत्र वधु प्रार्थीया के उक्त आवासीय मकान पर गिद्व नजर रखे हुए है जो उसे हड़प कर आगे बेचान करना चाहते है। प्रार्थीया लगभग 3 माह पूर्व बीमार होने के कारण अपनी पुत्री के साथ गांव अमरपुरा जालू आकर रहने लगी तो प्रार्थीया का पुत्र राजेन्द्र पुत्र कान्हाराम व पुत्रवधु सुनीता ने प्रार्थीया के घर का ताला तोड़कर सामान घर से बाहर फेंक दिया व घर पर अवैद्य रूप से कब्जा कर लिया। उक्त कृत्य के विरूद्व प्रार्थीया ने पुलिस थाना संगरिया में परिवाद दिया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की व पंचायत में भी प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधु ने प्रार्थीया को घर वापिस देने से साफ मना कर दिया। प्रार्थीया बीमार व बुजुर्ग महिला है व प्रार्थीया को सर छुपाने के लिए अन्य कोई मकान नहीं है। प्रार्थीया का पुत्र व पुत्रवधु उक्त मकान को हड़पना चाहते है। प्रार्थीया एक वरिष्ठ नागरिक है तथा अप्रार्थीगण के घर से निकालने के कारण अपनी पुत्री के साथ गुजर–बसर करने का विवश है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी से प्रार्थीया को अपना उक्त आवासीय मकान वापिस दिलाया जावे व अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि आईन्दा प्रार्थीया के मकान में अनाधिकृत प्रवेश ना करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीया विद्यादेवी व अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार का पक्ष सुना गया। प्रार्थीया के मुख्य कथन यह रहे कि वर्तमान में संगरिया में एक आवासीय मकान है जिसमें प्रार्थीया अपने पति के साथ निवास करती थी प्रार्थीया के पति का देहान्त हो चुका है एवं पति की पेन्शन से अपना गुजर बसर करती है। वर्तमान में इस आवासीय मकान पर ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी प्रार्थीया के पास ही है,किन्तु प्रार्थीया के इस मकान के एक कमरे में इसके पुत्र राजेन्द्र कुमार ने कब्जा कर रखा है। प्रार्थीया का पुत्र इस मकान को हड़पना चाहता है। अतः अप्रार्थी से उक्त आवासीय मकान वापिस दिलवाया जावे एवं अप्रार्थी को इस आवासीय मकान में अनाधिकृत प्रवेश से रोका जावे।

अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार ने जवाब कथन किये कि उसकी मां वृद्व होने के साथ–साथ भोली है एवं अपनी बड़ी बेटी के बहकावे में आकर मकान बेचना चाहती है यदि प्रार्थीया ने मकान विक्रय कर इसके पैसे बड़ी बेटी को दे दिये तो उसके बाद वह प्रार्थीया को घर से निकाल देगी इस स्थिति में प्रार्थीया का जीना दुभर हो जावेगा। अप्रार्थी,प्रार्थीया को अपने साथ रखने को तैयार है एवं लम्बे अर्से से प्रार्थीया के साथ रहकर उसकी सेवा कर रहा है। जहां तक मकान पर कब्जे का प्रश्न है तो इस आवासीय मकान की चाबी स्वयं प्रार्थीया के पास है।

अप्रार्थी केवल इस मकान के एक कमरे में वृद्व माता की देखभाल हेतु रहता है। अप्रार्थी सदैव अपनी प्रार्थीया माता के साथ रहकर उसकी सेवा एवं भरण पोषण करने हेतु तत्पर है।

उभय पक्ष के कथनों पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात,निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीया के पति स्व.कानाराम सरकारी सेवा में पंचायत प्रसार अधिकारी के पद से सेवानिवृत हुवे उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनकी पेन्शन राशि से प्रार्थीया की आजीविका चल रही है। आवासीय मकान प्रार्थीया का मकान जरिये बैयनामा खरीद शुद्वा है जो वर्तमान में बन्द है एवं इसकी चाबी स्वयं प्रार्थीया ने अपने पास होना स्वीकार किया है। इस मकान के एक कमरे में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा अपना सामान एवं कब्जा होना स्वीकार किया है। प्रार्थीया के मकान में अप्रार्थी अनाधिकृत प्रवेश न करें जबकि अप्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि वह अपनी माता के साथ रहकर उसकी सेवा करना चाहता है उसकी मां वृद्व एवं भोली होने के कारण यदि बहकावे में आकर मकान बेच दिया तो उसकी माता का शेष जीवन कष्टमय हो जावेगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीया द्वारा कथित तथ्यों व अप्रार्थी से प्राप्त जवाब पर मनन उपरान्त प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया पर प्राधिकरण का अभिमत यह है कि प्रार्थीया को अपने स्व. पति कानाराम की पेन्शन से प्रतिमाह गुजरा करने योग्य रकम प्राप्त होती है एवं प्रार्थीया,अप्रार्थी से भरण पोषण की राशि का अनुतोष भी नहीं मांग रही है। प्राधिकरण को केवल प्रार्थीया के आवासीय मकान के बारे में विनिश्चय करना है। आवासीय मकान प्रार्थीया स्वयं का खरीद शुद्वा है एवं इसकी चाबी स्वयं प्रार्थीया के पास है इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को घर से निकाल देने जैसे तथ्य विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होते है।

प्रार्थीया वृद्व महिला है। अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकती। यह आवासीय मकान ही प्रार्थिया की एकमात्र सम्पति है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी अथवा किसी अन्य के भी बहकावे में आकर इस आवासीय मकान का बेचान कर दिया तो प्रार्थीया का शेष जीवन कष्टमय होने की सम्भावना है। यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीया के जीवन काल में यह मकान प्रार्थीया के स्वामित्व में ही रहे। अतः प्राधिकरण द्वारा यह आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीया के जीवन काल में यह आवासीय मकान प्रार्थीया के स्वामित्व व कब्जे में रहे। अप्रार्थी इस मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें, ना ही इस आवासीय मकान को प्रार्थीया के जीवनकाल में बैय करे। प्रार्थीया अपने जीवनकाल में इस मकान में निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग करें। अप्रार्थी, प्रार्थीया के आवासीय मकान जिसकी वह पूर्ण स्वामिनी है, उसमें प्रार्थीया के सामान्य जीवन यापन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न भी नहीं करेगे।

चूंकि प्रार्थीया अत्यन्त वृद्व महिला है। अतः अप्रार्थी, प्रार्थीया की सेवासुश्रा,भोजन व्यवस्था एवं जीवन यापन की सामान्य व्यवस्थाओं का प्रबन्ध करने हेतु उत्तरदायी है परन्तु इन व्यवस्थाओं का प्रबन्ध करने के लिए भी प्रार्थीया की अनुमति के वगैर प्रार्थीया के आवास में अनाधिकृत प्रवेश न करें।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
भरण पोषण कल्याण अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया